163

सं0– 1027/IV(2)-श0वि0-51(सा0)–2014

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर, 2014

विषय : नगर पंचायत, कर्णप्रयाग को ढांचागत विकास हेतु अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 शहरी विकास मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा "नगर पंचायत, कर्णप्रयाग को ढांचागत विकास हेतु ₹ 25.00 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे" के क्रम में अध्यक्ष, नगर पंचायत, कर्णप्रयाग द्वारा कर्णप्रयाग में पेट्रौल पम्प के समीप पार्किंग निर्माण हेतु कुल ₹24.16 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, कर्णप्रयाग द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹24.16 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) द्वारा संस्तुत धनराशि कुल **₹23.76 लाख (रूपये तेईस लाख छियत्तर हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **₹23.76 लाख (रूपये तेईस लाख छियत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, कर्णप्रयाग को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(iii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(v) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(vii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

..2/-....

(viii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(ix) प्रश्नगत कार्यों की थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग हेतु प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(x) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यवायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी

(xi) धनराशि का दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xii) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या-13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक-पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होनें वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹18.30 लाख, के अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक- 2217- शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''-'42 अन्य व्यय के नामे ₹4.51 लाख, तथा के अनुदान सं0-31 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191- स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹0.95 लाख डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0-367/XXVII(2)/2014, दिनांक 29.09.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-S14103100026, S14103100027 एवं S14103100029 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0–1027 (1)/IV(2)-शा0वि0–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कर्णप्रयाग।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।